

# FORM No. III

खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
खण्डेला (सीकर)

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
खण्डेला (सीकर)

## मालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

..... बनावत .....  
 चण्डगंज लाल कौं. मोहनमाम कौं.  
 कदमा प्रा.पत्र :- अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं. .... 11 ..... सन् 20/19

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
19	<p>प्राचीनगंज की ओर से कमील अहकाम पर आधारित एडवोकेट प्रो.पत्र पेश किया / प्रा.पत्र दा. सं. 100 किया गया। स्थान पर कमील प्राचीनगंज की वहाँ एक पक्षी लुगी गई। पत्रावली के पत्रवाली पर उपस्थित राजेश नेमाई का अपमान किया गया एवं वहाँ प्राचीनगंज अधिवक्ता पर गठन किया गया।</p> <p>उपपक्षकारान को आगामी पेशी तक जरिअे क्षन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आपसंगत प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपपक्षकारान को आगामी तारीख पेशी तक जरिअे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि क्षाप विवाहित भूमि ख.नं. 1064 से 1073 कित 10 रकबा 5.16 ई.0 तन ग्राम विजयपुरा प्र.म. कांसरडा तहसील खण्डेला जिला सीकर वा.नं. 3 में मांका की अधिवक्ता वहाँ पर लागू नहीं होगी। 0-39 R-3 CPC की पालना होकर पत्रावली दिनांक 26-8-19 को पेश हो।</p>	

तारीख हुबलिस

26.8.19

3538-10  
22-8-19

पत्रावली पेश हुई करीब 10:00 AM  
केस नुमा राशि 10000/- आदेश जारी  
करीब 10:30 AM पर ही लाल 24/10/19  
से SW कर करीब 11:00 AM पर ही  
आदेश दिनांक 5-9-19 को पेश है

5/9/19

पत्रावली पेश हुई। वक्तव्य परिकार  
उप/अनुपस्थित। विचारधीन सूत्र  
/अन्य कारणों से लाल पत्रावली अतिरिक्त  
पत्रावली हेतु दिनांक 24/10/19  
को पेश हो।

24/10/19

पत्रावली पेश हुई। वक्तव्य उप./  
अनुपस्थित। विचारधीन सूत्र परिकारी  
दौर पर/अन्य कारणों से लाल पत्रावली  
पत्रावली पूर्ण दिनांक 24/10/19 को पेश हो।

8/11/19

पत्रावली पेश हुई करीब 10:00 AM पर ही  
मांफक के लक्षण में विचारधीन सूत्र  
काद खारीज ही हुआ है अतः मांफक  
अस्था निषेधाज्ञा को आज-पमान को करीब  
अंशित नहीं है अतः इसी तरह पर खारीज  
ही जाती है पत्रावली के कारण सुमा 24/10/19  
काद पर कर ही काद करीब 10:00 AM पर ही  
पेश है

(वक्तव्य) (दिनांक 24/10/19)  
उपस्थित अधिकारी  
खण्डेल: (सीकर)